फर्द अहकाम

मथुरालाल कंवर बनाम राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

संख्या 66/2024

क्रम	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से
	21/1/25	इजराये कोर्ट फीस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त ... 3/2/25
	3/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 11/2/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	11/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस को सुना गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का आवेदन स्वीकार कर वाद की मुताबिक कुर्रेजात तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा बंटवारा किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल में कम के तथा बाद ग्राहिल दाखिल हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं. 66/2024 | तारीख दायर 24/05/2024 | तारीख फैसला 11/02/2025

1. प्रभूदयाल करोल पुत्र मोहनलाल करोल आयु 65 साल जाति मीणा निवासी चक करोल तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम
2. लाडा पत्नि गुल्लाराम
3. बरान्ती पत्नि बाबूलाल
4. श्रवणी पत्नि रामू
5. गंगा पुत्री मांग्या

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति मीना समस्त निवासीयान ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री रमाशंकर शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 251 रकबा 1.9300है0, स्थित ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नंही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 08.08.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
140	गंगा पुत्री मांग्या हि0 863/2448 जाति मीणा, बसंती पत्नि बाबूलाल हि0 325/2448 जाति मीणा, लाडा पत्नि गुल्लाराम हि0 1/6 जाति मीणा, श्रवणी पत्नि रामू हि0 19/153 जाति मीणा, बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम हि0 1/612 जाति मीणा सा0देह खातेदार, प्रभूदयाल करोल पुत्र मोहनलाल करोल हि0 2/9 जाति मीणा सा0 चक करोल खातेदार।	251	1.9300	चाही 3	—
	योग	किता 1	1.9300	—	—

—: प्रस्तावित :—

0 सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	प्रभूदयाल करोल पुत्र मोहनलाल करोल जाति मीणा सा0 चक करोल खातेदार	251/1	0.4289	चाही 3	—
	योग	किता 1	0.4289	—	—
2	गंगा पुत्री मांग्या हि0 6803/15011, बसंती पत्नि बाबूलाल हि0 2562/15011, श्रवणी पत्नि रामू हि0 2397/15011, बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम हि0 32/15011 जाति मीणा सा0देह खातेदार।	251/2	1.5011	चाही 3	—
	योग	किता 1	1.5011	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इकतरफा

(फार्म नं 41)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

प्रभुदयाल बनाम बाबूलाल वगै0

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 काश्तकारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान

मुकदमा नम्बर — [illegible]/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इकतरफा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अधिवक्ता वादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का दावा [illegible] रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम [illegible] का [illegible], तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का सकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के [illegible] मुताबिक [illegible] रिपोर्ट के [illegible] विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हें खातेदार [illegible] घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
40	गंगा पुत्री मांग्या हि0 863/2448 जाति मीणा, बसंती पत्नि बाबूलाल हि0 325/2448 जाति मीणा, लाडा पत्नि गुल्लाराम हि0 1/6 जाति मीणा, श्रवणी पत्नि रामू हि0 19/153 जाति मीणा, बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम हि0 1/612 जाति मीणा सा0देह खातेदार, प्रभुदयाल करोल पुत्र मोहनलाल करोल हि0 2/9 जाति मीणा सा0 चक करोल खातेदार।	251	1.9300	चाही 3	—
	योग	किता 1	1.9300	—	—

—: प्रस्तावित :—

स0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	प्रभुदयाल करोल पुत्र मोहनलाल करोल जाति मीणा सा0 चक करोल खातेदार	251/1	0.4289	चाही 3	—
	योग	किता 1	0.4289	—	—
2	गंगा पुत्री मांग्या हि0 6803/15011, बसंती पत्नि बाबूलाल हि0 2562/15011, श्रवणी पत्नि रामू हि0 2397/15011, बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम हि0 32/15011 जाति मीणा सा0देह खातेदार।	251/2	1.5011	चाही 3	—
	योग	किता 1	1.5011	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू [illegible] [illegible] दर्ज [illegible] की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी [illegible] पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात मे किसी प्रकार से [illegible] अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/02/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ़